16 (8)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक 4013 दिनांक 28-10-2009

माननीय सांसद,
लोकसभा क्षेत्र ....

माननीय विधायक,
विधानसभा क्षेत्र ....

जिला प्रमुख,
जिला परिषद् ....

प्रधान,
पंचायत समिति ....

विषयः— सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत निर्मित सडकों के रखरखाव बाबत् ।

संदर्भः— कार्यालय पत्रांक शासन सचिव, सा.नि.वि. पत्रांक प.10/पीएण्डएम–।।/वी.आर./2007/डी–561 दिनांक 20.12.07, प.10/पीएण्डएम–।।/वी.आर./2007/ डी–683 दिनांक 5.3.08, पीएमजीएसवाई/07/डी–827 दिनांक 14.02.07 एवं पीमजीएसवाई/2009 / डी–4542 दिनांक 23.06.09

महोदय,

राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनान्तर्गत विभाग द्वारा सडकों का निर्माण किया जा रहा है। इनका रखरखाव अनुबन्ध के अनुसार 5 वर्ष तक संवेदक द्वारा अपने स्तर पर किया जाना है।

रखरखाव सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गयी है कि योजनान्तर्गत निर्मित सडकों के बारे में माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला प्रमुख एवं प्रधान पंचायत समितियों को भी अवगत किया जावें। इस बारे में आपसे पूर्व में भी समय–समय पर निवेदन किया जाता रहा है।

अतः आप अपने अधीनस्थ क्षेत्र में निर्मित सडकों का निरीक्षण संबंधित अभियंताओं के साथ करने का कष्ट करें एवं सडक के रखरखाव के संबंध में अपने सुझावों से अवगत कराने का श्रम करें। जिससे विभाग द्वारा समय पर तत्परता से समुचित कार्यवाही की जा सकें। विभाग के संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंताओं को आपसे संपर्क कर संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

अधीक्षण अभियंता संबंधित माननीय सांसद व जिला प्रमुख के साथ उनकी सुविधानुसार कार्यक्रम बनाकर छः माह में एक बार तथा अधिशाषी अभियंता संबंधित माननीय विधायक व प्रधान महोदय से तीन माह में एक बार एवं सहायक अभियंता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ दो माह में एक बार, जहां पर भी वे निरीक्षण के लिये जाना चाहेंगें, सडक पर जायेगें एवं संयुक्त निरीक्षण करेगें।

[signature]
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. ~~अतिरिक्त मुख्य~~ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग .... (समस्त)।
4. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विभाग .... (समस्त) को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि आप माननीय सांसद एवं जिला प्रमुख महोदय से संपर्क कर संयुक्त निरीक्षण करें एव गारटी अवधि में आ रही सडकों की सूची भी उनको उपलब्ध करावें। तथा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संयुक्त हस्ताक्षर से अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड........................ (समस्त) को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि आप माननीय विधायक एवं प्रधान महोदय से संपर्क कर संयुक्त निरीक्षण करें एव गारटी अवधि में आ रही सडकों की सूची भी उनको उपलब्ध करावें। तथा संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संयुक्त हस्ताक्षर से अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।